निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 30/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. गजानन्द मीणा पुत्र श्री परमानंद मीणा,
2. शकुन्तला देवी पत्नी श्री गजानन्द मीणा,

निवासी ग्राम रामपुरा, बाह्मणों का मौहल्ला, शाहपुरा, जयपुर हाल निवासी 39, सुदामा नगर, तरूछाया नगर के पास, तारों की कूट, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. आनन्द झारवाल,
2. पिंकी उर्फ नीतू पत्नी श्री आनन्द झारवाल,

निवासी 39, सुदामा नगर, तरूछाया नगर के पास, तारों की कूट, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.06.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 30/2024 ब–उनवानी गजानन्द मीणा बनाम आनन्द झारवाल व अन्य

उपस्थित :–

1. श्री सांवत राम गुर्जर, प्रतिनिधि प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के.के. शर्मा, प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय, जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 30/2024 ब–उनवानी गजानन्द मीणा बनाम आनन्द झारवाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.06.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से श्री के. के. शर्मा प्रतिनिधि उपस्थित हुए। तहत रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 (1)(क) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से आये दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा उनकी किसी प्रकार की कोई सेवा सुश्रुषा, देखभाल, दवा दारू आदि नहीं करते है। प्रत्यर्थी संख्या 2 मानसिक रूप से वृद्ध महिला है उसे स्वयं खाना बनाना पडता है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को शिक्षा दीक्षा दिलाने तथा उसकी शादी विवाह आदि में अपनी मेहनत की कमाई लगाई इस आशा के साथ कि वह उनके बुढापे में उनकी सेवा सुश्रुषा देखभाल करे तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 की शादी प्रत्यर्थी संख्या 2 से करवायी गयी, लेकिन प्रत्यर्थीगण का व्यवहार प्रार्थीगण के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण होता चला आ रहा है आये दिन उनकी सेवा करने, प्यार प्रेम बातचीत करने के बजाय गाली गलौच, लडाई

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

झगडा आम बात हो गयी है जो अपीलार्थीगण के लिये इस उम्र में बहुत ही असहनीय हो गयी है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है जिसकी आम सूचना भी दैनिक अखबार/पत्रिका में भी आम सूचना दिनांक 27.01.2024 को प्रकाशित करवाई है। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपनी मेहनत लगन व स्वअर्जित आय से क्रय शुदा सम्पति से मकान नम्बर 39, सुदामा नगर, तरूछाया के पास, तारों की कूट, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर से तुरन्त प्रभाव से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा अपीलार्थीगण को दिलाया जावे। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अलग–अलग जवाब क्रमशः दिनांक 05.06.2024 एवं 19.06.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने जबवा प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही व सत्य मानते हुये उनके ताहिद किया है तथा प्रत्यर्थी सख्या 2 ने मिथ्या व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जिसमें किसी भी प्रकार से अपीलार्थी के कथनों का किसी प्रकार का कोई खण्ड नहीं किया, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय शुदा सम्पति श्री लक्ष्मीनारायणपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का पट्टा आंवटन राशि जमा करवाकर वर्ष 1981 में क्रय किया गया था तथा उक्त प्लॉट क्रय करने के पश्चात उक्त प्लॉट में सम्पूर्ण निर्माण करवाया गया था। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उक्त मकान में बिजली, पानी व गैस कनेक्शन के दस्तोवज भी प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने निर्णय में प्रत्यर्थीगण की ओर से तारीख पेशी दिनांक 05.06.2024 को जवाब प्रस्तुत होने के तथ्य अंकित किये गये है लेकिन जवाब की कोई प्रति अपीलार्थीगण को नहीं दी गयी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.06.2024 को जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें तारीख 19.06.2024 अंकित कर रखी है तथा शपथ पत्र को ऑथ कमिश्नर से सत्यापित भी दिनांक 19.06.2024 को करवाया हुआ है तथा उक्त दिनांक को ही शामिल पत्रावली किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण ने न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पत्रावली में दिनांक 19.06.2024 की आदेशिका में यह तथ्य अंकित किया कि उभय पक्ष की बहस पूर्व में सूनी जा चुकी है जबकि अपीलार्थी को सुना ही नहीं गया है तथा रीडर व बाबू से बार–बार पूछने पर भी उनके द्वारा कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया तथा जब अपीलार्थी संख्या 1 काफी देर तक न्यायालय में उपस्थित रहा तब बिना पत्रावली के रीडर द्वारा यह कहा गया कि आपका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया है। जबकि अपीलार्थी को सुना ही नही गया ना ही उसकी कोई उपस्थिति ही की गई। पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रभाव में है, इसी बदनीयती से उसके द्वारा दिनांक 05.06.2024 को जवाब प्रस्तुत होने के बावजूद भी आदेशिका में जवाब पेश होने के तथ्य अंकित किये तथा आदेशिका दिनांक 19.06.2024 की आदेशिका में उभय पक्ष की बहस पूर्व में ही सुने जाने का तथ्य अंकित किया गया है। जब प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जवाब ही दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत किया गया है तो पूर्व में बहस सुने जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थीगण को बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा आदेशिका के विपरीत जाकर दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद उनको अनदेखा करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम रामपुरा, ब्राह्मणों का मोहल्ला, शाहपुरा जयपुर में पैतृक भूमि व मकान है जहां अपीलार्थीगण निवास करते है। अपीलार्थी संख्या 1 भारतीय रिजर्व बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सेवानिवृत है तथा सेवानिवृति के परिलाभों व ग्रेच्यूटी से अपनी स्वअर्जित आय से 39, सुदामा नगर, तरूछाया नगर के पास, तारों की कूट, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर खरीदकर उसमें तीन मंजिला निर्माण करवाया गया तथा उसमें बिजली पानी के कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त कर उसमें निवास करने लगे एवं उक्त मकान में अप्रार्थीगण संख्या 2 को विवाह पश्चात निवास करने के लिये दिया था। अपीलार्थीगण मकान को छोडकर आज से 10 वर्ष पूर्व ही जा चुके है। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से कोई लडाई झगडा नहीं हुआ और ना ही सेवा सुश्रुषा, देखभाल, दवा दारू आदि के लिये मना किया बल्कि अपीलार्थीगण जितने भी दिन साथ रहे उनकी देखभाल करने में कोई कमी नही छोडी। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त मकान पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 विवाह के पश्चात से इस घर में रह रही है। अधीनस्थ अधिकरण ने सभी दस्तावेजो की बारीकी से जांच की और अपने निर्णय पर पहुचने से पहले दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर किये गये थे। दिनांक 19.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब दायर किया गया था तथा उसी दिन बहस सुनवाई कर आदेश पारित किये गये थे। अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश उचित एवं सही है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अधीकरण की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आदेशिका दिनांक 05.06.2024 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश होना एवं बहस उभय पक्ष सुना जाना अंकित किया एवं अधीनस्थ अधिकरण की पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19.06.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को जवाब की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया जाकर अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

7. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2024 को अपास्त किया जाता है। एवं माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों की पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा धारा–16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निःशुल्क भेजी जावे। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुना गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner